REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082020-221229 CG-DL-E-19082020-221229

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2498]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2020/श्रावण 28, 1942No. 2498]NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2020/SHRAVANA 28, 1942

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय (एमआरटीएस-II) अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

का.आ. 2818(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (संकर्म संनिर्माण कार्य) अधिनियम,1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात सरकार से परामर्श करने के पश्चात घोषणा करती है कि उक्त अधिनियमों के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से गुजरात राज्य में सुरत शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र को लागू होंगे।

> [फा. सं. के-14011/10/2020-एमआरटीएस-II] जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (यु टी) और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2020

S.O. 2818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and sub-section (2) of section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Gujarat, hereby declare that the provisions of the said Acts shall apply to the Surat Urban Development Authority area in the State of Gujarat with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. K-14011/10/2020-MRTS-II] JAIDEEP, OSD (UT) & Ex-Officio Jt. Secy.

3804 GI/2020